

फॉर्म III- समाधान प्रमाणपत्र

[बैंक के लेखापरीक्षकों के पत्र शीर्ष पर]

सेवा में

ऑडिट किया गया बैंक का पता

हमें, (बैंक के लेखापरीक्षक [आंतरिक / समवर्ती] विवरण) जिसे इसके बाद "बैंक के लेखापरीक्षक" के रूप में संदर्भित किया गया है, (बैंक का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय उपर्युक्त पते पर है, द्वारा अनुरोध किया गया है कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 और भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - विविध) निदेश, 2025 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रस्तुत करने के प्रयोजन से,को समाप्त छमाही के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दाखिल की गई विवरणी ("स्टेटमेंट") का विवरण युक्त समाधान प्रमाणपत्र (आरसी) हम जारी करें।

2. लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उचित आश्वासन प्रदान करें कि क्या आरबीआई के साथ बैंक द्वारा दाखिल की गई विवरणी को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के अनुसार बैंक द्वारा सही ढंग से संकलित किया गया है।

3. बैंक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं:

- (ए) आरबीआई में दाखिल फॉर्म I और फॉर्म II में मासिक विवरणी की प्रति
- (बी) ग्राहकों को बैंक की शाखाओं द्वारा किए गए निपटान का विवरण
- (सी) बैंक की अन्य बहियां और रिकॉर्ड

4. हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं की हैं:

- (ए) प्रमाणित फॉर्म I और फॉर्म II
- (बी) नमूना आधार पर ग्राहकों को किए गए निपटान के संबंध में शाखाओं से प्राप्त सत्यापित विवरण
- (सी) मार्च...../सितंबर..... को समाप्त छमाही के लिए शेष राशि के मिलान के संबंध में विवरण की जाँच, जो निम्नानुसार है:

(कृपया सी.i या सी.ii प्रमाणित करें और जो भी लागू नहीं है उसे काट दें)

i. यदि शेष राशि का मिलान हो जाता है

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक के सामान्य खाताबही में दिखाए गए विभिन्न शीर्षों के तहत डीईए निधि में अंतरित की गई अदावाकृत जमा की शेष राशि, 31-03-..... या 30-09-.....को डीईए निधि कक्ष के साथ रखे गए शेष के साथ मेल खाती है, जैसा कि आरबीआई के डीईए निधि मॉड्यूल से सृजित फॉर्म। में परिलक्षित किया गया है।

ii. यदि शेष राशि का मिलान नहीं होता है

हमने पाया है कि जबकि बैंक के सामान्य खाताबही में 31-03-...../ 30-09-..... को दर्शाई गई अदावाकृत जमा का शेष ₹..... है, जबकि डीईए निधि कक्ष के साथ रखे गए शेष में 31-03-..... / 30-09-..... को दर्शाई गई अदावाकृत जमा का शेष ₹..... है, जैसा कि आरबीआई के डीईए निधि मॉड्यूल से सृजित फॉर्म। में परिलक्षित किया गया है।

(डी) सत्यापित किया गया कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के अनुसार विवरणी सही ढंग से संकलित की गई हैं।

5. 31-03- _____ / 30-09- _____ को बैंक की बहियों में दिखाई देने वाला डीईए निधि का शेष निम्नानुसार है

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान छमाही 31-03-yyyy / 30-09- yyyy	पिछले वर्ष 31-03-yyyy / 30-09- yyyy
1.	01-04-yyyy / 01-10-yyyy को डीईए निधि की प्रारंभिक शेष राशि		
2.	जोड़ें:छमाही के दौरान डीईए निधि में अंतरित की गई राशि		
3.	घटाएँ:छमाही के दौरान दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि		
4.	31-03- yyyy / 30-09-yyyy को डीईए निधि की अंतिम शेष राशि (1+2-3)		

6. उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में उल्लिखित हमारी प्रक्रियाओं के आधार पर, बैंक के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी

तथा स्पष्टीकरण और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के अनुसार बैंक द्वारा डीईए निधि विवरणी / प्रमाणपत्र सही ढंग से संकलित किए गए हैं / सही ढंग से संकलित नहीं किए गए हैं*।

7. यह प्रमाणपत्र केवल आरबीआई को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस प्रमाणपत्र का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

पंजीकरण संख्या (एफआरएन) और मुहर के साथ बैंक के लेखापरीक्षकों के हस्ताक्षर (आंतरिक / समवर्ती)

स्थान:

दिनांक:

यूडीआईएन / आंतरिक दस्तावेज़ पहचान संख्या:

बैंक अधिकारियों का विवरण (फॉर्म II के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अलावा):

	पहला अधिकारी	दूसरा अधिकारी
बैंक की मुहर के साथ हस्ताक्षर		
नाम		
पदनाम		
स्थान		
दिनांक		

*जो भी लागू नहीं है उसे स्ट्राइक आउट करें